पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

भिमल यादव

बनाम

बिहार राज्य

2015 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 500

22 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र शेखर झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अभियोजन पक्ष धारा 302 भारतीय दंड संहिता तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आरोपी पर अपराध सिद्ध करने में संदेह से परे सफल रहा?

हेडनोट्स

प्राथमिकी दर्ज करने में 7 घंटे से अधिक की देरी हुई। जांचकर्ता ने न तो ज़ब्ती सूची तैयार की और न ही घटना स्थल से खून से सना मिट्टी एकत्र कर फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा। जांच अधिकारी ने चौंकीदार से सूचना प्राप्त करने के बाद स्थल पर पहुंचने की बात कही, किंतु चौंकीदार का बयान न तो दर्ज किया गया और न ही अभियोजन साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष के गवाहों और प्रथम सूचक (जो मृतक की पत्नी हैं) की गवाही में भारी विरोधाभास और चूकें पाई गईं, जिससे वह विश्वसनीय साक्षी नहीं मानी जा सकतीं। (पैरा - 11, 22, 24)

अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा। अपील स्वीकृत की जाती है। (पैरा - 25, 27)

न्याय दृष्टान्त

कोई उल्लेख नहीं।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 302; शस्त्र अधिनियम, 1959 – धारा 27; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धाराएं 161, 209, 313, 374(2)

मुख्य शब्दों की सूची

हत्या; प्राथमिकी में देरी; प्रत्यक्षदर्शी गवाही; साक्ष्य में विरोधाभास; संदेह का लाभ; धारा 302 भा.दं.सं.; धारा 27 शस्त्र अधिनियम; बरी करना; शव-परीक्षण विरोधाभास; जांच में कमी

प्रकरण से उत्पन्न

सत्रवाद सं. 116/2006 में 3 वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाढ़, पटना द्वारा पारित दिनांक 22.05.2015 के दोषसिद्धि निर्णय एवं 28.05.2015 के दंडादेश से उत्पन्न।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री मनोज कुमार पांडेय, श्री विक्रमदेव सिंह, कु. पल्लवी, अधिवक्ता

प्रत्युत्तरकर्ता (राज्य) की ओर से: श्री सत्य नारायण प्रसाद, अपर लोक अभियोजक

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 की आपराधिक अपील (ख.पी.) सं. 500

थाना कांड सं.- 203 वर्ष- 2001 थाना- बाढ़ जिला- पटना से उद्भूत

==

भीमल यादव, पिता- स्वर्गीय रामजोत यादव, निवासी गांव- सोइमा, थाना- बाढ़, जिला- पटना।

... ... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थितिः

अपीलकर्ता/ओं के लिए	:	श्री मनोज कुमार पांडे, अधिवक्ता
		श्री बिक्रमदेव सिंह, अधिवक्ता
		सुश्री कुमारी पल्लवी, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए	:	श्री सत्य नारायण पं., स.लो.अ.

==

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

(द्वारा : माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीख : 22-08-2023

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाढ़, पटना द्वारा दिनांक 22.05.2015 को दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 28.05.2015 को दिए गए दंडादेश के विरुद्ध दायर की गई है, जो बाढ़ कांड सं. 203/2001 से उत्पन्न है, जो सा.पंजी. सं. 723/2001 के अनुरूप एस.टी. सं. 116/06 में दिया गया था, जिसके तहत संबंधित विचारण न्यायालय

ने अपीलकर्ता/अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था और उसे आजीवन सश्रम कारावास और मात्र 10,000/- (दस हजार) रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया था, और जुर्माना न भरने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, अपीलकर्ता को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए केवल तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5000/- (पाँच हजार) रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है और जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि स्वर्गीय दिनेश्वर यादव की पत्नी सूचक बर्फी देवी अपने पति के साथ अपने पैतृक गांव जा रही थी। वे लगभग 8 बजे सुबह में घर से निकले थे। जब वे मदन साह के कृषि क्षेत्र के पास पहुंचे, तो वर्तमान अपीलकर्ता और एक अन्य आरोपी छोटे यादव ने दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ उन्हें घेर लिया और उसके बाद वर्तमान अपीलकर्ता ने अपनी देसी पिस्तौल से गोली चला दी, जो उसके पति के दाहिने कान के गड्ढे में लग गई। उसी समय, एक अन्य आरोपी छोटे यादव ने भी पहले सूचक के पति पर गोली चलाई, जो दिनेश्वर यादव की दाहिनी पसलियों में लगी, जिसके परिणामस्वरूप घायल नीचे गिर गया और तुरंत मर गया। यह कहा गया है कि घटना का कारण उसके बहनोई सुभाष यादव और अपीलकर्ता के बीच भूमि विवाद है। सुबह 9 बजे घटित कथित घटना के संबंध में बाढ़ पुलिस थाना में कांड सं. 203/2001 के तहत शाम 4:00 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

3. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, जाँच अभिकरण ने जाँच शुरू की और गवाहों के बयान दर्ज किए, जाँच अधिकारी ने सामग्री भी एकत्र की और पंचनामा तैयार किया और उसके बाद वर्तमान अपीलकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संबंधित

दंडाधिकारी न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया।

4. चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के तहत संबंधित सत्र न्यायालय को यह कार्य सुपुर्द किया, जहां इसे 2006 के सत्र परीक्षण सं. 116 के रूप में दर्ज किया गया था।

5. मुकदमे के दौरान, वर्तमान अपीलकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किया गया और अभियोजन पक्ष ने 08 गवाहों की जांच की और दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। इसके बाद, अपीलकर्ता/अभियुक्त का आगे का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया और मुकदमे के समापन के बाद विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसके खिलाफ वर्तमान अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

6. अपीलकर्ता/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बिक्रमदेव सिंह को सुना गया, जिनकी सहायता श्री मनोज कुमार पांडे और सुश्री कुमारी पल्लवी ने की तथा उत्तरदाता/राज्य की ओर से विद्वान स.लो.अ. श्री सत्य नारायण प्रसाद को सुना गया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख किया है और जांच पंचनामा और मृतक की शव-परीक्षण रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है और उसके बाद, यह मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में 7 घंटे की भारी देरी हुई थी, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता को गलत तरीके से फंसाया गया है। यह दलील दी जाती है कि हालांकि अभि.सा.-4 सकुनी देवी और अभि.सा.-5 बर्फी देवी ने दावा किया है कि वे विचाराधीन घटना के चश्मदीद गवाह हैं, वास्तव में, किसी ने भी इस विचाराधीन घटना को नहीं देखा है। यह भी दलील दी जाती है कि अभि.सा.-4 सकुनी देवी ने पुलिस को यह सूचित नहीं किया है कि कब उसका बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था कि उसने वास्तव में

विचाराधीन घटना को देखा था। हालाँकि, न्यायालय के समक्ष अपना बयान देते समय, पहली बार, उसने बयान दिया था कि उसने इस विचाराधीन घटना को देखा था। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अभि.सा.-4 द्वारा दिए गए बयान को इस न्यायालय द्वारा एक चश्मदीद गवाह के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता ने अभि.सा.-5 यानी मूल पहली सूचक बर्फी देवी, जो बीमार दिनेश्वर यादव की पत्नी हैं, के द्वारा दिए गए बयान का भी उल्लेख किया है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने अपने बयान में प्रमुख विरोधाभासों की ओर इशारा किया है और तर्क दिया है कि उक्त गवाह के मामले के अनुसार वह अपने पति के साथ लगभग 2:10 बजे दोपहर में अपना घर छोड़ दी थी, जबकि उसके द्वारा दी गई प्राथमिकी में, उसने कहा है कि वे लगभग 8:30 बजे सुबह में घर से निकले थे। विद्वान अधिवक्ता ने शिकायतकर्ता के घर और घटनास्थल के बीच की दूरी का भी उल्लेख किया है। विद्वान अधिवक्ता ने उक्त गवाह से प्रति-परीक्षण के अनुच्छेद 15 का भी उल्लेख किया है और कहा है कि अभि.सा.-5 के मामले के अनुसार, उसने सुबह घर से निकलने से पहले अपने पति के साथ खाना खाया था। हालांकि, *शव-परीक्षण* रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा गया है कि भोजन पच गया है। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी पर इस न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि अभि.सा.-1, अभि.सा.-2 और अभि.सा.-3 चश्मदीद गवाह नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया है और वे मुख्य रूप से सुनी-सुनाई बातों के गवाह हैं। इसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि अभि.सा.-6 एक औपचारिक गवाह है। इसके बाद अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अभि.सा.-7 डॉ. विकास चंद चौधरी, के दिए गए बयान को संदर्भित किया जिसने मृतक

का शव-परीक्षण किया था और उसके बाद दलील दी है कि हालांकि उक्त गवाह ने मृतक को लगी चोट के बारे में बताया है, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि मृतक को चोट किसके द्वारा लगी थी और इसलिए विचारण न्यायालय ने अभि.सा.-7 डॉक्टर के द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा करते हुए त्रुटि की है। इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता ने अभि.सा.-8, जांच अधिकारी द्वारा दिए गए बयान का भी उल्लेख किया है, उसी का उल्लेख करने के बाद, यह दलील दी जाती है कि पहली बार चौकीदार शिबू पासवान ने उसे विचाराधीन घटना के बारे में उसे सूचित किया था, हालांकि, उसने शिबू पासवान का बयान दर्ज नहीं किया था। यह आगे कहा गया है कि प्रति-परीक्षण के दौरान जा.अ. ने स्वीकार किया है कि उसे मिट्टी पर खून के धब्बे मिले हैं, जहां यह घटना हुई थी, हालांकि, उसने उसे एकत्र नहीं किया और एफ.एस.एल. को आवश्यक विश्लेषण के लिए नहीं भेजा था। इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि यद्यपि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश पारित किया है और इसलिए उक्त आदेश को रद्द कर दिया जाए और दरकिनार कर दिया जाए।

10. दूसरी ओर, विद्वान स.लो.अ. ने इस अपील का जोरदार विरोध किया है। यह मुख्य रूप से तर्क दिया जाता है कि वास्तव में, प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई है, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है। विद्वान स.लो.अ. ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान का भी उल्लेख किया है और तर्क दिया है कि हालांकि अभि.सा.-1 से अभि.सा.-3 चश्मदीद गवाह नहीं हैं, लेकिन उन्होंने घटना के तथ्य को साबित कर दिया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि अभि.सा.-4, जो मृतक की बहू है, घटना स्थल के पास थी और इसलिए वह तुरंत मौके पर पहुंची और इसलिए वह भी इस घटना की चश्मदीद गवाह है। इसके बाद विद्वान स.लो.अ. ने अभि.सा.-5 बर्फी देवी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि घटना स्थल पर अभि.सा.-5 की उपस्थिति स्वाभाविक

थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ अपने पैतृक गांव जा रही थी और पारगमन के दौरान यह घटना मदन शाह के कृषि क्षेत्र के पास हुई थी। यह दलील दी जाती है कि अभि.सा.-5 को विश्वसनीय गवाह और भरोसेमंद गवाह कहा जा सकता है और हालांकि विचाराधीन घटना का केवल एक चश्मदीद गवाह है, जब चिकित्सा साक्ष्य उक्त चश्मदीद गवाह के मामले का समर्थन करता है, तो उक्त चश्मदीद गवाह द्वारा दिए गए बयान के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है और इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का विवादित आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान स.लो.अ. ने मृतक के पंचनामे की जांच का भी उल्लेख किया है। विद्वान स.लो.अ. ने यह भी दलील दी है कि, यह स्वीकार किए बिना भी, कि घटनास्थल से खून के धब्बे एकत्र न करके जांच अभिकरण की ओर से जाँच में कुछ कमी रह गई है, इसका लाभ अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता। इसलिए विद्वान स.लो.अ. ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

11. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपार्थना की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान और विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सहित अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अध्ययन किया है। शुरुआत में, यह ध्यान रखना उचित है कि, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, विचाराधीन घटना 09.09.2001 को लगभग 9 बजे सुबह मदन शाह के खेत के पास हुई थी। यह भी विवाद में नहीं है कि उक्त घटना 9 बजे हुई थी जिसकी प्राथमिकी 4 बजे दोपहर में दर्ज की गई थी। इस प्रकार, प्राथमिकी दर्ज करने में 7 घंटे से अधिक की देरी है। हालांकि पहली सूचक घटना का चश्मदीद होने का दावा कर रही है, लेकिन पहली सूचक द्वारा प्राथमिकी में विशेष रूप से कहा गया है कि वह लगभग 8:30 बजे सुबह अपने पति के साथ अपना घर से निकली थी और जब वे मदन शाह के कृषि क्षेत्र के पास पहुंचे, तो अपीलकर्ता और एक

अन्य आरोपी छोटे यादव दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ उक्त स्थान पर आया और वर्तमान अपीलकर्ता/अभियुक्त ने अपने देशी पिस्तौल से गोलीबारी शुरू कर दी। आरोपी छोटे यादव ने भी गोलीबरी की और गोली पहले सूचक के पति की दाहिनी पसली में लग गई। प्राथमिकी में पहले सूचक ने कहा है कि घटनास्थल पर कोई नहीं आया था और वह अपने पति के शव के साथ तब तक अकेली थी जब तक कि चौकीदार शिबू पासवान वहां नहीं आया और उसके बाद संबंधित पुलिस प्राधिकरण को सूचित किया।

12. अभियोजन पक्ष ने पहले सूचक से अभि.सा.-5 के रूप में पूछताछ की थी। अपने मुख्य-परीक्षण के दौरान, पहली सूचक बर्फी देवी ने बयान दिया कि वह सुबह 10 बजे अपने पति के साथ अपने पैतृक गाँव जाने के लिए घर से निकली थी और जब वे कृषि क्षेत्र के पास पहुंचे, तो वर्तमान अपीलकर्ता उक्त स्थान पर आया और उसके बाद गोली चला दी, जिसमें उसके पति घायल हो गया और नीचे गिर गया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। उसने आगे कहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अपीलकर्ता ने उसके पति की हत्या क्यों की थी। उसने आगे कहा है कि उसके घर और घटनास्थल के बीच की दूरी आधा किलोमीटर है। उसने आगे आश्चर्यजनक रूप से कहा है कि वह लगभग 2:10 बजे दोपहर में अपने घर से निकली थी। उस समय उसके साथ एक सकुनी देवी अभि.सा.-4 और पंतारी देवी भी थीं। प्रति-परीक्षण के दौरान, उसने कहा था कि उसने तुरंत घटना के बारे में सूचित किया, यानी आधे घंटे के भीतर। उसने आगे अपने प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया था कि जब विचाराधीन घटना हुई थी, तो वह और उसका पति दोनों मौजूद थे। उनके अलावा, उक्त स्थान पर कोई मौजूद नहीं था। उसने आगे कहा कि वह अपीलकर्ता और उसके पति के चचेरे भाई सुभाष और उदय के बीच भूमि विवाद के बारे में नहीं जानती है।

13. अभि.सा.-1 हरदेव यादव, जो मृतक का बेटा है, इस घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और उक्त गवाह घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचा था। इस

प्रकार, उक्त गवाह एक सुनी-सुनाई गवाह है। हालाँकि, अपने मुख्य-परीक्षण में, उक्त गवाह ने गवाही दी थी कि वर्तमान अपीलकर्ता और छोटे लाल यादव एक उदय यादव की हत्या के मामले में आरोपी हैं, जो अभि.सा.-1 के चाचा थे और अभि.सा.-1 के मृत पिता उक्त मामले में गवाह थे। इस प्रकार, उक्त गवाह ने अपीलकर्ता की ओर से अपराध करने के उद्देश्य के बारे में इंगित करने की कोशिश की है।

14. इसी तरह, अभि.सा.-2, नंदू यादव, जो मृतक का चचेरा भाई है, भी एक सुनी सुनाई गवाह है। उक्त गवाह विचाराधीन घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसे इस घटना के बारे में पता चला था।

15. अभि.सा.-3.अनूप यादव भी मृतक का रिश्तेदार है। उसे एक मदन महतो से घटना की जानकारी मिली और उक्त व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने के बाद, वह घटना स्थल पर पहुंचा और इस तथ्य के बारे में जाना कि वर्तमान अपीलकर्ता और एक अन्य आरोपी ने दिनेश्वर यादव की हत्या कर दी थी। उक्त गवाह ने विशेष रूप से प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। उक्त गवाह ने मृतक दिनेश्वर यादव को मारने के अपीलकर्ता के उद्देश्य के बारे में भी बताने की कोशिश की थी।

16. अभि.सा.-4 सकुनी देवी मृतक की बहू हैं। मुख्य-परीक्षण के दौरान, उक्त गवाह ने गवाही दी है कि वह गाँव बेधना ताल के पास थी, वह वहाँ खेती के उद्देश्य से गई थी। जब वह मदन साह के कृषि क्षेत्र के पास पहुंची, तो उसने देखा कि अपीलकर्ता भीमल यादव घटनास्थल पर आया था। उसके हाथ में पिस्तौल थी और उसके बाद उसने बिंदेश्वर यानी दिनेश्वर पर गोली चला दी। वह छोटे यादव को भी देखी थी, वह भी गोली चलाया था, और उक्त घटना में दिनेश्वर यादव घायल हो गया था।

यह ध्यान देने योग्य है कि जब जांच अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उसका बयान दर्ज किया था, तब उसने उपरोक्त पहलू को नहीं बताया था।

17. अभि.सा.-6 रवींद्र प्रसाद औपचारिक गवाह हैं जबकि अभि.सा.-7 डॉ. विकास चंद चौधरी एक डॉक्टर हैं, जिसने मृतक दिनेश्वर यादव के शव का *शव-परीक्षण* किया था। उक्त गवाह को मृतक के शरीर पर निम्नलिखित बाहरी चोटें मिलीं:-

बाहरी चोटें:

(क) खोपड़ी के दाहिने पार्श्वीय क्षेत्र में 1/2″x1/2″ त्रिज्या के उल्टे किनारे वाला कटा हुआ अंडाकार घाव।

(ख) बाएं कान के नीचे खोपड़ी के बाएं टेम्पोरल क्षेत्र पर 1″x1″ के उल्टे किनारे वाला एक कटा हुआ अंडाकार घाव।

(ग) छाती के बायीं ओर की पिछली अक्षीय रेखा पर सातवें अंतर-तटीय प्रसार पर उल्टे मार्जिन के साथ एक फटा हुआ अंडाकार घाव, घाव का आकार 1/2"X1/2"।

(घ) छाती के दाहिनी ओर मध्य-कैल्विकेशन रेखा में पांचवें दाहिने अंतर-तटीय प्रसार में उल्टे किनारे के साथ एक फटा हुआ अंडाकार घाव।

2. विच्छेदन खोपड़ी पर:-

बाएँ पेरिटल और दाएँ पेरिटल अस्थि-शिराओं में रूपान्तरित अस्थि-भंग-मेनिन्जेस और मस्तिष्क के ऊतक अपठनीय और विकृत। बाएँ टेम्पोरल क्षेत्र में एक धातु का बाहरी भाग फंसा हुआ था जिसे निकाल दिया गया। काँच की शीशी में बंद करके, साथ आई पुलिस को सौंप दिया गया।

छाती:-

दाहिना फेफड़ा फट गया बायां फेफड़ा पीला, दिल खाली।

पेट:-

जिगर पीला। गुर्दे पीला। प्लीहा भरा हुआ, पेट में पचा हुआ भोजन है। छोटी आंत गैस और मल से भरी हुई। मृत्यु के बाद 24 से 36 घंटे।

मृत्यु का कारणः-

आग्नेयास्त्रों के कारण उपरोक्त चोटों के कारण रक्तस्रावी आघात।

यह उनके द्वारा उसी प्रक्रिया के साथ तैयार की गई मूल शव-परीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति है और इसमें मेरे हस्ताक्षर हैं। इसे एतद्द्वारा प्रदर्श संकेत-एक्स द्वारा चिह्नित किया गया है।

चिकित्सक द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान से पता चलता है कि मृतक को आग्नेयास्त्रों से चोटें आई और उसे लगी चोटों से रक्तस्राव के सदमे के कारण उसकी मृत्यु हुई थी।

18. अभि.सा.-8 नेति लाल भारती जाँच अधिकारी था, जिसने अभि.सा.-5 बर्फी देवी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी की जाँच की थी। उक्त गवाह ने मुख्य-परीक्षण में बताया है कि विचाराधीन घटना की जानकारी मिलने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंचा और बर्फी देवी द्वारा दी गई शिकायत दर्ज किया था। उक्त गवाह द्वारा दिखाया गया घटना-स्थल मदन साह का कृषि क्षेत्र है। उक्त गवाह ने यह भी कहा है कि उसने जाँच रिपोर्ट तैयार करते समय स्वतंत्र गवाह जयराम यादव और शत्रुघ्न यादव के हस्ताक्षर प्राप्त किया था। इसके बाद मृतक के शव को शव-परीक्षण के लिए भेज दिया गया था। जाँच के दौरान, उक्त गवाह ने गवाह अनूप यादव, पटिया देवी, सकुनी देवी, पंतारी देवी, नंदू यादव और हरिदेव यादव का बयान दर्ज किया था।

प्रति-परीक्षण के दौरान अभि.सा.-8 ने कहा कि चौकीदार शिबू पासवान ने उसे

विचाराधीन घटना के बारे में सूचित किया था और इसलिए वह घटनास्थल पर पहुंचा था। हालांकि, उसने शिबू पासवान का बयान दर्ज नहीं किया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने जब्ती सूची तैयार नहीं की थी और न ही उसने घटनास्थल से खून से सना मिट्टी एकत्र की थी। कथित प्रति-परीक्षण के अनुच्छेद 14 में उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि विचाराधीन घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और पहले सूचक को छोड़कर, सभी गवाह सुनी-सुनाई वाले गवाह है।

19. हमने जाँच पंचनामा और मृतक की *शव-परीक्षण* रिपोर्ट भी देखी है।

20. संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य से यह पता चलता है कि कथित घटना के लिए जो 09.09.2001 को लगभग 9 बजे सुबह हुई थी, की प्राथमिकी उसी तारीख को 4 बजे दोपहर में दर्ज की गई थी। इस प्रकार, प्राथमिकी दर्ज करने में सात घंटे की भारी देरी होती है। अभिलेख से आगे यह पता चलता है कि प्राथमिकी में, पहली सूचक बर्फी देवी अभि.सा.-5 ने कहा है कि वह सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अपने पति के शव के साथ घटनास्थल पर अकेली थी और इस बीच घटनास्थल पर कोई शव नहीं आया था। चौकीदार शिबू पासवान को घटना की जानकारी दी गई थी और उसके बाद वह सूचना देने के लिए थाना गए था। यहां तक कि अभि.सा.-4 सकुनी देवी ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पुलिस के समक्ष दिए गए अपने बयान में यह नहीं कही थी कि वह इस घटना की चश्मदीद गवाह हैं और पहली बार उसने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य-परीक्षण के रूप में गवाही दी थी कि उसने भी इस घटना को देखा था।

21. इस प्रकार, हमारा विचार है कि अभि.सा.-4 घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और इसलिए उसके बयान को चश्मदीद गवाह के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

22. इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि अभि.सा.-8 जांच अधिकारी के

मामले के अनुसार, उसे चौकीदार शिबू पासवान से जानकारी मिली और उसके बाद वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा, हालांकि, आश्चर्य की बात है कि जांच अधिकारी ने उक्त गवाह का बयान दर्ज नहीं किया था और न ही उससे अभियोजन पक्ष के द्वारा गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभि.सा.-3 अनूप यादव ने अपने मुख्य-परीक्षण में कहा कि उसे एक मदन महतो से इस घटना के बारे में जानकारी मिली थी। जाँच अधिकारी ने उक्त गवाह मदन महतो का बयान दर्ज नहीं किया है, जो घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर गया था। यहां तक कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अभि.सा.-1 से अभि.सा.-3 विचाराधीन घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं और इसलिए, अभि.सा.-5 के बयान, जिसे घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया जाता है, की इस न्यायालय द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

23. हमने अभि.सा.-5, प्रथम सूचक, द्वारा दिए गए बयान का अवलोकन किया है, जिससे यह पता चलता है कि उसने अपने मुख्य-परीक्षण में कही थी कि वह 10 बजे सुबह अपने पति के साथ घर से निकली थी जबकि प्राथमिकी में उसने कहा था कि वे लगभग 8:30 बजे सुबह अपने घर से निकले थे। प्राथमिकी के अनुसार, घटना सुबह 9 बजे हुई थी। जबकि मुख्य-परीक्षण में, यह उसका मामला है कि वे 10 बजे सुबह घर से निकले थे, एक स्थान पर उसने कहा था कि उसके घर और घटनास्थल के बीच की दूरी आधा किलोमीटर है और वह लगभग 2:10 बजे दोपहर में अपने पति, सकुनी देवी और पंतारो देवी के साथ अपने घर से निकले थे। इस स्तर पर यह ध्यान देने योग्य है कि जांच अधिकारी ने पटिया देवी, पंतारो देवी और पंतारी देवी का बयान दर्ज किया था। मुकदमे के समय अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है। उक्त गवाह ने अपनी प्रति-परीक्षण में कहा कि वह अपने पति के साथ खाना यानी चावल, दही और दाल खाई थी और उसके बाद वे सुबह अपने घर से निकल गए थे। हालांकि, शव-परीक्षण रिपोर्ट और अभि.सा.-7, डॉ. विकास चंद चौधरी द्वारा दिए गए बयान में कहा गया है कि

पेट में पचा हुआ भोजन है। इस प्रकार, तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी बर्फी देवी द्वारा दी गई कहानी पर विश्वास करना मुश्किल है।

24. यह सच है कि भले ही एक चश्मदीद गवाह हो, जो विश्वसनीय और भरोसेमंद हो और अगर चश्मदीद गवाह के मामले की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से होती है, तो एकमात्र चश्मदीद गवाह के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान में बड़े विरोधाभास और चूक हैं और हमारा विचार है कि अभि.सा.-5 बर्फी देवी, जो पहली सूचक हैं और जो मृतक की पत्नी हैं, उसे, अभियोजन पक्ष द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए समग्र साक्ष्य को देखते हुए, विश्वसनीय गवाह या भरोसेमंद गवाह नहीं कहा जा सकता।

25. इस प्रकार, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश गलत तरीके से दर्ज किया है।

26. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। तदनुसार, इस अपील की अनुमति दी जाती है।

27. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाढ़, पटना द्वारा बाढ़ थाना वाद सं. 203/2001 से संबंधित सा.पंजी.सं. 723/2001 के संबंध में दिनांक 22.05.2015 को दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 28.05.2015 के दंडादेश को अपास्त और दरकिनार किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता न हो। अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किया गया कोई भी जुर्माना उसे तत्काल वापस किया जाए।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

वीणा/अर्चना -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।